न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री ईश्वरलाल मित्तल पुत्र श्री मूलचन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स मूलचन्द प्रेमचन्द, माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा (राज0 निवासी वार्ड नं0 25 सिंहल मोहल्ला, बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 53 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.4.2023 को 06.01 पी.एम. पर मैसर्स मूलचन्द प्रेमचन्द माधोगंज मण्डी बांदीकुई दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री ईश्वरलाल पुत्र मूलचन्द मित्तल मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर ईश्वरलाल ने स्वयं को मैसर्स मूलचन्द प्रेमचन्द का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र आवेदन दिखाया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) 2 प्लास्टिक के कट्टों मे लगभग 20—21 किलोग्राम आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता ईश्वरलाल मित्तल को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 2 कट्टों में से एक कट्टे का चयन कर उसमें से 2 किलोग्राम मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) खुली साफ व सूखी पॉलीथीन में तुलवाकर मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 560/—(अक्षरे पांच सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर बराबर–बराबर पॉलीथीन में भरकर प्रत्येक पॉलीथीन को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग–अलग डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी–3282 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3282 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 06.4.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 06.4.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 534 / एक्ट / 2023 / 556 दिनांक 17.4.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) एफएसएए के विनियम 2011 के नियम 2.3.14(15) का उल्लंघन करने के कारण कॉन्ट्रावेन स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 534 / एक्ट / 2023 / 556 दिनांक 17.4.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी को इस नियम की जानकारी नहीं थी कि खुले मसाले बेचना खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। प्रार्थी द्वारा भूलवश खुला मिर्च पाउडर का विक्रय किया है। भविष्य में प्रार्थी द्वारा ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./534/एक्ट/2023/556 दिनांक 17.4.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर खुला (**Chilli Powder Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री ईश्वर लाल मित्तल पुत्र श्री मूलचन्द एफ.बी.ओ. मैसर्सः–मूलचन्द, प्रेमचन्द माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा निवासी वार्ड संख्या 25, सिंहल मौहल्ला, बडियाल रोड, बांदीकुई पर 4000/– (अक्षरे चार हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA/** दिनांकः– 26.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ईश्वरलाल मितल पुत्र श्री मूलचन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स मूलचन्द प्रेमचन्द, माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा (राज0 निवासी वार्ड नं0 25 सिंहल मोहल्ला, बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा